

के लिये भेजती हैं व पूरी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपनी जगहों पर फिर से नौकर हो जाते हैं। निजी तौर से ट्रेनिंग पाने के बाद, सरकारी नौकरियों में ले लिये जाने वाले कारीगरों के शिक्षकों के बारे में, कोई सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरह के लोगों की वृत्ति की जानकारी रखने का कोई साधन नहीं है।

†[THE DEPUTY MINISTER FOR LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) Number of Instructor trainees receiving training as on 31st October 1955:

Blacksmith.	3
Draughtsman (Mechanical)	3
Cutting and Tailoring.	6
Electrician.	7
Hand Weaving	10
Leather Work	7
Machinist.	11
Mechanic (General)	7
Mechanic (Motor)	8
Moulder	6
Turner	8
Welder (Gas and Electricity)	4
Wood work	19

TOTAL 99

Rs.

(b) 1953-54	1,39,941
1954-55	1,38,751
1955-56	1,66,800

(Budget Grant)

(c) Number of persons trained upto September 1955—1375 (Technical—1024 and Vocational—351).

The Instructor trainees who are deputed by the Central and the State Governments go back to their previous employment after successfully completing the course and as regards private ex-Instructor trainees who have been taken into service by Central and State Governments, no information is available, as there is no machinery to follow up the career of ex-trainees.]

रेडियो लाइसेंसेसों का नवीनीकरण न कराना

१८. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में नियत अवधि के अन्दर रेडियो लाइसेंसेसों का नवीनीकरण न कराने के कारण जुर्माने के रूप में कुल कितना धन प्राप्त किया गया ?

†[NON-RENEWAL OF RADIO LICENCES

98. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for COMMUNICATIONS be pleased to state the total amount of money realised so far during 1955 as penalties for failure to renew radio licences within the prescribed time?]

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अदालतों द्वारा लगाये गये "जुर्माने" की रकम १ जनवरी, १९५५ से ३१ अगस्त, १९५५ तक १८,६५९ रुपये ४ आने थी।

इस विभाग द्वारा वसूल किये गये अधिमा (surcharge) की रकम के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। उपलब्ध होते ही आवश्यक आंकड़े सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

†[THE DEPUTY MINISTER FOR COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): The amount of "fines" imposed by the courts of law during the period 1st January 1955 to 31st August 1955 was Rs. 18,687-4-0.

Information regarding the amounts recovered departmentally as "surcharge" is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is available.]

नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण

१९. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या परिवहन मंत्री २४ मार्च, १९५५ को मेरे अतारक्षित प्रश्न संख्या २२३ के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में सनावद के निकट नर्मदा नदी के ऊपर उस पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है जिस के लिये केन्द्रीय मार्ग निर्मा संस्थान स्वीकृत हुआ है, और